[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रभाग)

नई दिल्ली, तारीख: 2018

अधिसूचना

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सहायक नर्स मिडवाइफ) भर्ती नियम, 1993 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में सहायक नर्स मिडवाइफ के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन , सहायक नर्स मिडवाइफ, भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति,-

(क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है , या

(ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक नर्स मिडवाइफ	34 * (2018) इलाहाबाद - 3 भोपाल - 1 दिल्ली - 3 कोलकता – 8 मुम्बई - 13 चेन्नई - 6 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख, अराजपत्रित, अननुसचिवीय,	लेवल 4 (रू0 25500-81100)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 5 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती करने	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान सहायक नर्स मिडवाइफ में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। (iii) किसी नर्सिंग परिषद में सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में रजिस्ट्रीकृत। वांच्छनीय : परिवार कल्याण में अनुभव तथा प्रशिक्षण। टिप्पण 1 : अर्हताए, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताए) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए अंतिम तारीख वह होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।	की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षितअनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रहने या लम्बी बीमारी में रहने या किसी अन्य कारण के अधीन हुई रिक्तियोंको केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहें है, या (ii) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताए और अनुभव रखते है।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
1. विभागीय प्रोन्नति समिति (दिल्ली के अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : (1) अपर निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय),	लागू नहीं होता।

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - अध्यक्ष

(2) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - सदस्य

(3) संबंधित प्रशासनिक अधिकारी अथवा संबंधित अपर निदेशक द्वारा नामित समूह 'क' अधिकारी - सदस्य

2. विभागीय प्रोन्नति समिति (दिल्ली के बाहर अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :

(1) अपर निदेशक, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना इकाई - अध्यक्ष

(2) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना इकाई - सदस्य

(3) संबंधित प्रशासनिक अधिकारी अथवा संबंधित अपर निदेशक द्वारा नामित समूह 'क' अधिकारी - सदस्य

[फा.सं.ए-12018/02/2018 -सीजीएचएस-I]

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक
भारत सरकार मुद्रणालय
रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली